लेख

बलात्कार के बाद का सफ़र

निशा सूज़न

हम सारी ज़िंदगी अपने आपको इस एक अपराध के खतरे से बचाने की कोशिश में लगी रहती हैं। हर अंधेरे मोड़ पर, खाली बस स्टॉप पर, घर या आफ़िस में अकेले रह जाने पर, अपने पीछे सुनाई देती कदमों की आवाज़ पर दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगता है। शायद कहीं से कोई दबोचने वाला है। फिर वह लम्हा बग़ैर किसी हादसे के गुज़र जाता है। धड़कनें सामान्य हो जाती हैं, अगले किसी ऐसे लम्हे की चौकसी के साथ।

यह खौफ़ हर कहीं नज़र आता है। देर रात घर लौटती लड़कियों में, औरतों में, घर पर या दूर शहर में बैठे माता-पिता के दिलों में। अपने ज़िस्म को कितना छिपाएं, कितना अदृश्य करें? पहले से जंज़ीरों में जकड़ी औरतों की ज़िंदगी को और कितना पंगू बना दे? हम हर रोज़ दिन में कई बार दिल की धड़कन बढ़ाने वाले खौफ़ से गुज़रती हैं और बच जाती हैं। लेकिन हममें से कुछ के लिए यह खौफ़, हादसा बन जाता है। सिर्फ़ साल 2012 में ही भारत की कम से कम से 24,923 औरतों के दर्ज मामलों में वे उस हादसे का शिकार हो गई जिसका डर उन्हें हर समय सताता था। उनके साथ बलात्कार हुआ। चार में से तीन मामलों में बलात्कारी या तो कोई जानकार होता है या परिवार वाला।

बलात्कार हो चुका है, वो लम्हा आ चुका है, हादसा घट चुका है, अब क्या करूं? जिसे बचने, डरने की शिक्षा ज़िंदगी भर दी गई थी उसके बाद क्या करना है यह तो किसी ने सिखाया ही नहीं।

अहम फ़ैसला

हो सकता है कि आप इस अपराध के बारे में बात न करना चाहें, न ही उसकी शिकायत दर्ज कराएं। यह फ़ैसला आपका अपना होगा। लेकिन अगर आप इंसाफ़ चाहती हैं, अपराधी को उसके किए की सज़ा दिलाना चाहती हैं तो पहले 24 घंटे आपके लिए बहुत अहम हैं। पहले दिन की कार्रवाई से आप कैसे निपट पाती हैं उस पर निर्भर करेगा कि बलात्कार आपकी ज़िन्दगी पर क्या असर डालता है।

शायद हम सबके दिल की पहली आवाज़ यही हो कि किसी अंधेरे कोने में दुबक कर अपने तन-मन के ज़ख़्मों को सहलाएं क्योंकि हमारी शिक्षा, परवरिश और माहौल में ऐसे किसी हादसे, जिसे औरत के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी हिंसा कहा जाता है कि रिपोर्ट करना तो दूर उसकी चर्चा करने को भी बढ़ावा नहीं दिया जाता।

अगर हम बलात्कार को एक घिनौना जुर्म मानती हैं, अगर हम इंसाफ़ चाहती हैं तो कहीं न कहीं अपनी सामूहिक सोच को बदलना होगा ताकि पहली प्रतिक्रिया रिपोर्ट दर्ज करना हो। हमारे पास गंवाने के लिए वक्त नहीं होता।

दिल्ली उच्च न्यायालय की वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन, जिन्होंने बलात्कार के अनेक मुकदमों की पैरवी की है, कहती हैं- ज़्यादातर रेप सर्वाइवर रिपोर्ट नहीं करना चाहतीं क्योंकि उन्होंने पुलिस, क़ानूनी प्रक्रिया और अदालती कार्रवाई के बारे में जो कुछ देखा या सुना है वह उन्हें डराता है। वे चुप रह जाना बेहतर समझती हैं। इसके बावजूद बहुत सी औरतें ऐसी भी हैं जो इस रास्ते की तकलीफ़ों को समझते हुए एक लम्बी लड़ाई के लिए कमर कस कर रिपोर्ट करती हैं।

पहला घंटा – पहला दिन

यहां यह समझना बहुत ज़रूरी है कि औरत को ज़िन्दगी भर के घाव देने वाले इस अपराध के सबूतों की ज़िन्दगी बहुत छोटी होती है। पहले एक घंटे में जिस्मानी सबूत ख़त्म होने लगते हैं और तीन दिन में क़रीब-क़रीब गायब हो जाते हैं।

जॉन का कहना है कि सर्वाइवर को बग़ैर अपने गुप्तांग धोए, अंदर और बाहर के कपड़े बदले या पेशाब और कुल्ला तक किए बिना तुरन्त रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित करें कि पुलिस कपड़ों को अपने कब्ज़े में लेकर आपकी डॉक्टरी जांच जल्द से जल्द करवाए।

बलात्कार के अधिकतर सबूत शरीर पर होते हैं इसलिए सर्वाइवर का जस की तस हालत में पुलिस और डॉक्टर तक पहुंचना ज़रूरी है।

पहले कहां?

यहां सवाल उठता है कि पहले पुलिस के पास जाएं या पहले डॉक्टर के पास। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि बलात्कार का रूप कितना हिंसक था। अपनी सेहत और डॉक्टरी जांच के मद्देनज़र पहले डॉक्टर के पास जाना ठीक है। बाद में चाहे आप रिपोर्ट करें या नहीं।

हालांकि भारत में पुलिस थानों की तरह अस्पतालों में भी संवेदनशील, मददगार डॉक्टर मिलने की संभावना कम होती है। आपका संघर्ष यही से शुरू होता है। अपनी जांच और इलाज की मांग के लिए ज़ोर देना होगा। इस समय किसी अपने का साथ होना बहुत ज़रूरी है। याद रखें *आपराधिक प्रक्रिया संहिता* की धारा 357 सी के तहत भारत के सभी अस्पताल चाहे वे सरकारी हो या प्राइवेट बलात्कार सर्वाइवर को प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए बाध्य हैं।

न्यायिक परीक्षण

बाहरी चोटों के अलावा अंदरूनी चोटों तथा मस्तिष्काघात की जांच होनी चाहिए। गर्भ, यौन संक्रमण, एचआइवी/एड्स के लिए जांचना भी ज़रूरी है हालांकि आमतौर पर डॉक्टर ये परीक्षण नहीं करवाते हैं। आप मांग करें।

मुंबई की गैर सरकारी संस्था *सेहत* की संगीता रेगे वर्षों से इस मुद्दे के लिए संघर्ष कर रही हैं कि बलात्कार सर्वाइवर के न्यायिक परीक्षण की एक निश्चित विधि तय की जाए जिसका सभी जगह समान रूप से पालन हो। वर्तमान जांच प्रक्रिया अव्यवस्थित अवैज्ञानिक और बहुत तकलीफ़ पहुंचाने वाली है।

पुलिस, अस्पताल और डॉक्टरों के लिए सर्वाइवर का शरीर सिर्फ़ एक अपराध का स्थान होता हैं। उनकी जांच सिर्फ़ न्यायिक नज़रिए से होती है। वे भूल जाते है कि उस शरीर के भीतर एक दिल-दिमाग वाली औरत भी जी रही है। उसकी बहुत सी चोटें दिखाई नहीं देती लेकिन उनका इलाज भी उतना ही अहम है।

दो उंगलियां और हज़ार पूर्वाग्रह

डॉक्टरों में जाति, वर्ग, लिंग आदि जुड़े उनके अपने पूर्वाग्रह तो होते ही हैं उस पर चिकित्सा शास्त्र की दकियानूसी शिक्षा जो आज भी यह सिखाती है कि एक अकेला मर्द वयस्क औरत का बलात्कार कर ही नहीं सकता अथवा यह कि निम्न वर्ग की औरतों का बलात्कार असंभव है क्योंकि वे बहुत ताक़तवर होती हैं।

इसी तरह बलात्कार जांच का एक दकियानूसी मिथक आज भी प्रचलित है वह है— 'दो उंगली जांच'। इसमें डॉक्टर या नर्स सर्वाइवर की योनि में दो उंगलियां डाल कर पता लगाते हैं कि योनि द्वार कितना चौड़ा और लचीला है। यदि दो उंगलियां भीतर जा सकती हैं तो वह औरत संभोग की आदी है। पीछे छिपा भाव यह है कि यदि वह संभोग की आदी है तो एक और ज़बरदस्ती संभोग से क्या फ़र्क़ पड़ता है या वह झूठ बोल रही है या उसका चरित्र ख़राब है।

वर्मा कमेटी रिपोर्ट में इस ढर्रे को बंद करने का सुझाव दिया है पर आज भी कुछ अस्पताल और डॉक्टर इसे योनि व गुदा के लचीलेपन की जांच का नाम देकर जारी रखे हुए हैं। इस जांच से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह जांच औरत या अपराध के बारे में तो कुछ नहीं बताती लेकिन डॉक्टरों के सोच का दिवालियापन ज़रूर साबित करती है। बलात्कार सर्वाइवर को आरंभिक जांच के बाद जल्दी से जल्दी गहन जांच और इलाज के लिए फिर से अस्पताल जाने की सलाह दी जाती है। साथ ही उन्हें व उनके करीबियों को सदमे से निपटने के लिए सलाहकार अथवा मनोचिकित्सक से भी मिलना चाहिए। हालांकि हमारे अधिकतर अस्पतालों में सर्वाइवरों के लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं परन्तु मुंबई में *मजलिस* व *राही*, दिल्ली में *स्वंचेतन*, चेन्नई में *तूलीर* तथा बंगलुरू के *वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइन्सेस* में तात्कालिक सहायता और दीर्घकालिक काउन्सलिंग मिल सकती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट और बयान

यह सही है कि पुलिस थाने सिर्फ़ बलात्कार ही नहीं बल्कि सभी अपराधों की रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करते हैं।

यदि रिपोर्ट दर्ज कराने में परेशानी आए तो एक सुझाव, जो ख़ासतौर पर शहरों में कारगर है कि आप कंट्रोल रूम को फ़ोन करके अपनी जगह का पता बताएं। साथ ही उस ज़ोन के एएसपी का मोबाइल नम्बर ले लें। इस कार्रवाई का थाना कर्मचारियों पर अच्छा असर पड़ता है और प्रायः वे रिपोर्ट दर्ज करने में चुस्ती दिखाते हैं।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की संशोधित धारा 154 के तहत पुलिस बलात्कार सर्वाइवर की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बाध्य है। यदि वह शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है तो उसके घर जाकर उसका बयान लेना भी उनका फ़र्ज़ है। अपना बयान दर्ज करवाते समय हो सके तो अपने वकील को साथ रखें। यदि वकील को बुलवाने में समय लगने की आशंका

हो तो मुंडकर का कहना है कि समय न गंवाते हुए खुद अपना बयान लिखवाएं।

वकील ना हो तब भी बयान दर्ज करवाने से पहले या तो घटनाओं को सिलसिलेवार कागज़ पर लिख लें या अपने दिमाग में अच्छी तरह सोच लें। यह सही है कि उन हालात में सर्वाइवर के लिए यह सब कर पाना आसान नहीं है परन्तु मुकदमे की सफलता के लिए यह अहम है।

नए तंत्रिका विज्ञानी अध्ययनों ने बताया है कि जब कोई व्यक्ति किसी हिंसक हादसे को याद करता है तो उसके मस्तिष्क के आगे की सतह काम करना बंद कर देती है। उसके शरीर में तनाव के हारमोन का स्तर बहुत बढ़ जाता है और वह बहुत सी चीज़ें याद नहीं कर पाता।

दुर्भाग्य से हमारी जांच व्यवस्था आधुनिक नहीं है और अदालती व्यवस्था भी बयान में फेरबदल को सहानुभूतिपूर्ण नज़रिए से नहीं देखती। इसलिए स्वयं ही जितना हो सके शांत होकर छोटी से छोटी बात, दृश्य, आवाज़ें याद करने की कोशिश करें और उन्हें लिखवाएं। बलात्कारी का चेहरा-मोहरा, कपड़े, बातचीत, भाषा, जगह का विवरण यदि गाड़ी है तो उसका रंग, मॉडल, पृष्ठभूमि की आवाज़ें सभी कुछ बताएं। पुलिसकर्मियों से डरें नहीं और बयान चाहे कितना भी लम्बा क्यों न हो उसे दर्ज कराने पर ज़ोर दें। यहां एक और बात ध्यान रखने की है कि अपने बयान पर दस्तख़त करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें, जांच लें कि लिखने वाले ने अपनी तरफ से कुछ जोड़ या घटा तो नहीं दिया है। इसकी काफी संभावना होती है।

विरोध का अभाव बनाम सहमति

कई बार पुलिसकर्मी या बचाव के वकील यह पूछते हैं कि औरत ने संघर्ष क्यों नहीं किया या मदद के लिए शोर क्यों नहीं मचाया। अनेक बार सर्वाइवर खुद अपराधी महसूस करती है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। इसे उसकी सहमति के रूप में भी देखा जाता है।

नई शोध बताती है कि अत्यन्त भयानक परिस्थितियों में, मुकाबला करने और भागने के अलावा एक तीसरी स्थिति भी हो सकती है जिसमें व्यक्ति जड़ हो जाता है। शरीर और दिमाग अस्थाई रूप से काम करना बंद कर देते हैं।

इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं जिनके चलते सर्वाइवर विरोध नहीं करती। बलात्कार बंदूक या चाकू की नोक पर भी किया जा सकता है। जान से मार देने, यातना पहुंचाने या परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई हो अथवा उसे आघात या किसी नशीली दवा से निष्क्रिय कर दिया गया हो वह स्वयं शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो। यदि सर्वाइवर की उम्र 18 वर्ष से कम है तो सहमति का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। यह याद रखें कि आज्ञा मान लेने या झुक जाने का अर्थ सहमति नहीं होता।

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत ऐसी सभी स्थितियों में दी गई सहमति को भी क़ानून, लड़की की रज़ामंदी नहीं मानता। इसलिए बयान लिखवाते समय आप विरोध न कर पाने के कारणों का खुलासा करें।

यदि बलात्कारी की पहचान हो गई है तो उसे गिरफ़्तार कराएं। बलात्कारी की भी डाक्टरी जांच कराएं ताकि उसके शरीर और कपड़ों पर मौजूद वीर्य, चोट या खरोंच, सर्वाइवर के बाल या खून जैसे सबूतों को नष्ट होने से पहले बरामद किया जा सके। इसके बाद पुलिस अपराध के स्थान का मुआयना और जांच करके अतिरिक्त सबूत पाने की कोशिश करती है। गवाह ढूंढती है, उनके बयान लेती है। इस सारी प्रक्रिया के दौरान यदि आपका वकील साथ रहे और गतिविधियों पर नज़र रखे कि पुलिस लापरवाही से सबूत नष्ट न हो जाएं तो आपका केस मज़बूत होगा।

बदला नहीं इंसाफ़ की सोच रखें

यह सच है कि क़ानूनी प्रक्रिया के हर चरण पर घर, मोहल्ले और समाज में सर्वाइवर पर उंगली उठ सकती है। उसे बुरा भला भी कहा जा सकता है। ये सारी चीज़ें हिम्मत और हौसला तोड़ती हैं। उस पर हमारे देश में बलात्कारियों को सज़ा होने का प्रतिशत बहुत कम है। अदालत तक पहुंचने वाले कुल मामलों का मात्र 26 प्रतिशत। अदालती प्रक्रिया आने आप में बहुत लम्बी चलने वाली होती है जिसके बीच हिम्मत टूटने लगती है, निराशा होती है लेकिन यही परीक्षा की घड़ी है।

उच्चतम न्यायालय लगातार यह फ़ैसले देता रहा है कि बलात्कारी को सज़ा देने के लिए महिला अभियोगी के अपुष्ट साक्ष्य भी पर्याप्त हैं। यह बहुत उत्साहवर्धक टिप्पणी है।

अतः यदि आप पहले 24 घंटों की सभी प्रक्रियाओं के दौर से मज़बूती से गुज़र चुकी हैं। आप अपने बयान पर अडिग हैं और आने वाले दिनों में हिम्मत बरकरार रखती हैं तो अपराधी को सज़ा मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं।

साथ यदि आप यह भी विश्वास करती हैं कि बलात्कार आपके जीवन का अंत नहीं है तो आप एक विजेता हैं।

निशा सूज़न, *तेहलका पत्रिका के साथ जुड़ी रही हैं। वे महिला मुद्दों पर लिखती हैं। यह लेख 2 जुलाई 2013 को yahoo!news india में अंग्रेज़ी में छपा था।*